ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर, जिला मण्डी के उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.9.2005 से 31.03.2014

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के दृष्टिगत, ई–गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर की अवधि 1.9.2005 से 31.3.2014 की उपयोक्ता प्रभार निधियो के लेंखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के श्री मोहिन्द्र कुमार (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री विजय कुमार (क0ले0प0) द्वारा दिनाँक 20.2.2015 से 23.3.2015 तथा 6.4.2015 से 9.4.2015 के दौरान सुन्दरनगर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

(ख) अंकेक्षण अवधि 1.9.2005 से 31.3.2014 के दौरान आर0एल0ए0 (सुन्दरनगर) में निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत रहेः–

क्र0सं0	सचिव		अवधि
1	श्री पंकज राय	(एच0ए0एस0)	01.9.05 से 12.7.07
2	श्री प्रदीप ठाकुर	(एच0ए0एस0)	13.7.07 से 23.2.08
3	श्री आर0के0 गौतम	(एच0ए0एस0)	26.2.08 से 11.8.10
4	श्री विवेक चन्देल	(एच0ए0एस0)	11.8.10 से 02.2.13
5	श्री एच0एस0 राणा	(एच0ए0एस0)	03.2.13 से 31.3.14

(ग) निधि लेखाओ को विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2005–06	9/2005	9/2005
2006–07	4/2006	1/2007
2007–08	4/2007	3/2008
2008–09	5/2008	9/2008
2009–10	6/2009	6/2009
2010–11	8/2010	7/2010
2011–12	12/2011	2/2012
2012–13	12/2012	2/2013
2013–14	2/2014	11/2013

(घ) **गम्भीर अनियमितताओं का सार**

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	4	उपयोक्ता प्रभार से सम्बन्धित आय के 25% भाग की राशि को परिवहन विभाग खाते में जमा करने का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	2.64
2	5	विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु ई–गवर्नेन्स निधि से अनियमित व्यय करना	1.61
3	7	प्रिन्टर में कार्टरेज की भरवाई व स्टेशनरी पर किए गए व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करना	0.42
4	8	निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही प्रिन्टर की खरीद करना	0.23
5	9	हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखा सामग्री विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना मुद्रण कार्य निजी फर्मों से करवाना	0.60

(ङ) इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैनात किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्क

ई–गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर की अवधि 1.9.2005 से 31.3.2014 की उपयोक्ता प्रभार निधियो के लेंखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹17800/– किया गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1177 दिनाँक 20.7.15 द्वारा उप मण्डलाधिकारी सुन्दरनगर से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति

(क) अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1047 दिनाँक 1.1.2015 तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1105 दिनाँक 23.4.2015 द्वारा संस्थाध्यक्ष से अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति, बचत खातों व निवेश की स्थिति का ब्यौरा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्थिति का बैंक से मिलान करने के लिए भी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1171 दिनाँक 20.7.2015 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन संस्था द्वारा लेखों के मिलान करने हेतु गम्भीर प्रयास नहीं किए गए। ई–गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर द्वारा

अंकेक्षण के दौरान तैयार की गई सोसाईटी की अवधि 1.9.2005 से 31.3.2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** में भी दिया गया है।

वर्ष	गतशेष	आय	कुल जमा	भुगतान	अन्तशेष
2005–06	44307	525863	570170	531113	39057
2006–07	39057	1321676	1360733	1295328	65405
2007–08	65405	1112750	1178155	1043455	134700
2008–09	134700	666679	801379	735140	66239
2009–10	66239	990203	1056442	881060	175382
2010–11	175382	765918	941300	919403	21897
2011–12	21897	893860	915757	889966	25791
2012–13	25791	946426	972217	933327	38890
2013–14	38890	1141984	1180874	1104063	76811

अन्तशेष का विवरण

	रोकड़ बही अनुसार अन्तशेष		**76811**
जमाः–	ब्याज की राशि जो रोकड़ बही में नहीं ली गई		(+) 8922
माईनसः–	बैंक चार्जिज जो रोकड़ बही में नहीं लिए		(–) 726
माईनसः–	राशि जो रोकड़ बही में जमा थी लेकिन बैंक में दिनाँक 2.4.2014 को जमा की गई		(–) 1477
	बैंक के अनुसार शेष		**83530**
(i)	पी एन बी खाता संख्या 359 का अन्तशेष	82067	
(ii)	कोओपरेटिव बैंक खाता 359 का अन्तशेष	20869	102936
	शुद्ध अन्तर		**19406**

(उपरोक्त अन्तर का मिलान करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए)

(ख) अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक पास बुक का मिलान करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा दिनाँक 31.3.2014 तक बचत खातों से अर्जित ब्याज की ₹8922 को तथा बैंक द्वारा विभिन्न बैंक चार्जिज के रूप में काटी गई ₹726/– को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जिस के अभाव में सोसाईटी की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त राशियों की संस्था स्तर पर छानबीन करके इनकी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज की जाए तथा भविष्य में रोकड़ बही में नियमित प्रविष्टियाँ करके बैंक से माहवार मिलान करना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न हो।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं भी पाई गई, परन्तु इन अनियमितताओं से सम्बन्धित आकंड़ों को सोसाईटी द्वारा उक्त वर्णित वित्तीय स्थिति से सम्मिलित नहीं किया गया, जिनकी छानबीन करने के उपरान्त अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार लेखों व रोकड़ बही का रख रखाव सुनिश्चित करते हुये बैंक खातों से भी माहवार मिलान किया जाए।

(i) रोकड़ बही का बैंक से मिलान करने पर पाया गया कि दिनाँक 20.3.2008 को हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम को ₹52000/– का भुगतान किया गया था, जबकि बैंक पास बुक में ₹5200/– के भुगतान की प्रविष्टि पाई गई थी। अतः आवश्यक छानबीन करने के उपरान्त संशोधित राशि की प्रविष्टि का मिलान बैंक से किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(ii) रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 247 पर दिनाँक 28.7.2010 को चैक संख्या 822048 द्वारा M/S HP Zerox Services को उनके बिल संख्या 1276 दिनाँक 20.6.10 के एवज में ₹4992 का भुगतान किया गया था। अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि उक्त राशि के चैक का बैंक खाते से भुगतान नहीं हुआ। अतः आवश्यक छानबीन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(iii) पी0एन0बी0 बैंक खाता संख्या 3750 से दिनाँक 3.8.2010 को ₹116984 अन्य बैंक खाता संख्या 377004058642 को ट्रांसफर की गई थी। उक्त राशि की रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं पाई गई। अतः उक्त राशि को बैंक खाता संख्या 377004058642 में ट्रांसफर करने का अभिलेख सहित उद्देश्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) चैक संख्या 761058 दिनाँक 1.2.2012 द्वारा श्री नरेश को ₹2000/– का भुगतान किया गया था, जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं पाई गई। अतः उक्त राशि के भुगतान का अभिलेख सहित उद्देश्य स्पष्ट किया जाए तथा रोकड़ बही में प्रविष्टि दर्ज करके इनका बैंक से मिलान किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(v) अंकेक्षण के दौरान बैंक खाते का रोकड़ बही से मिलान करने पर पाया गया कि बैंक खाता संख्या PNB 3750 में दिनाँक 18.11.2005 को ₹11600 शेष थी, जबकि दिनाँक 11.12.

2005 को नई पास बुक में ₹1000/– का गत शेष दर्शाया गया था। अतः अवधि 18.11.2005 से 11.12.2005 के दौरान की लेन–देन की विवरणी व भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए। इसके अतिरिक्त अवधि 5.6.2007 से 5.7.2009 की बैंक विवरणी, जिसे अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था, को भी प्राप्त करके इनका रोकड़ बही से मिलान किया जाए। उक्त के अतिरिक्त अभिलेख की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि बैंक खाता संख्या 3750 को बन्द करके नया खाता संख्या PNB 040055891 खोला गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(vi) अंकेक्षण के दौरान ई–गवर्नैन्स लेखों की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में निम्नलिखित अवधि के दौरान ₹3703 अधिक दर्ज की गई थी। इससे प्रतीत होता है कि रोकड़ बही का समय–समय पर नियमानुसार मिलान नहीं किया गया। अतः रोकड़ बही मे अधिक राशि जमा होने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

दिनाँक	**राशि**
1.4.09	398
10.7.09	460
21.10.01	20
26.11.09	80
27.8.10	2745
कुल योग	**3703**

4 उपयोक्ता प्रभार से सम्बन्धित आय के 25% भाग की ₹264967/– को परिवहन विभाग खाते में जमा करने का विवरण प्रस्तुत नहीं करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी एफ (1) 3–2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.05 की धरा 3 (A) के अनुसार उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त होने वाली आय में से 25**%** भाग प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग में चालान द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित होता है। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेन्स निधि से चालान संख्या 2 दिनाँक 16.6.07 द्वारा ₹264967/– सरकारी कोष में जमा करवाई गई थी। उक्त राशि कौन सी अवधि की आय से सम्बन्धित थी, इसका ब्यौरा अभिलेख में नहीं पाया गया। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त उपयोक्ता प्रभार से आय का पूर्ण ब्यौरा तैयार करके उपरोक्त 25**%** भाग का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाया जाए।

5 विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु ई–गवर्नेन्स निधि से ₹161554/– का अनियमित व्यय करना

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार ई–गवर्नेन्स उपयोक्ता प्रभार निधि से समय समय पर कार्यालय व्यय हेतु रिकूपमेनट के आधार पर राशि आहरित की गई थी, जिसकी उपयोक्ता प्रभार निधि में रिकूपमैन्ट से सम्बन्धित प्रविष्टि नहीं पाई गई। अतः इस व्यय को ई–गवर्नेन्स उपयोक्ता प्रभार निधि से करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर अंकुश लगाते हुए ई–गवर्नेन्स नियोक्ता प्रभार निधि से व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT F (1) 3-2000-E-Governance दिनाँक 3.9.05 में दिये गये दिशा निर्देशों अनुसार ही किया जाए। इसके अतिरिक्त कार्यालय व्यय पर किए गए इस व्यय की उपयोक्ता प्रभार निधि में रिकूपमैन्ट करके वाँछित प्रविष्टियों का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाया जाए।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम/चैक संख्या	भुगतान का विवरण	रोकड़ बही पृ0सं0	दिनाँक	राशि
चैक संख्या 4170249 द्वारा आहरित	राशि कार्यालय व्यय	33	22.1.07	14388
श्री चौधरी राम	टेलीफोन व बिजली बिल	139	13.3.08	17331
उपमण्डलाधिकारी सुन्दरनगर	उपभोक्ता फोरम शिमला	139	15.3.08	52000
श्री जसवन्त सिंह	टेलीफोन बिल	140	19.3.08	21644
श्री केशव राम	कार्यालय व्यय	184	23.9.08	13870
चैक संख्या 4915119 दिनाँक 22.6.09 द्वारा आहरित	कार्यालय व्यय	92	23.6.09	7657
उपमण्डलाधिकारी	विधानसभी PAC समिति का जलपान व्यय	111	16.11.13	34664
			योग	**₹161554**

6 मोबाईल सैट की खरीद करने तथा मोबाईल बिलों के भुगतान पर ₹9200 का अनियमित व्यय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर द्वारा ई–गवर्नैन्स उपयोक्ता प्रभार निधि से मोबाईल सैट की खरीद व मोबाईल बिलों के भुगतान पर निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया।

क्र0सं0	फर्म/अधिकारी का नाम	विवरण	रोकड़ बही पृ0सं0	दिनाँक	राशि
1	मै0 सोनी इलेक्ट्रोनिक्स सुन्दरनगर बिल संख्या 49602	मोबाईल सैट की खरीद पर व्यय	136	1.3.08	5800
2	श्री राम कुमार गौतम, उपमण्डलाधिकारी	मोबाईल बिल का भुगतान	92	23.6.09	1000
3	श्री दौलतराम चन्देल नायब तहसीलदार	मोबाईल बिल का भुगतान	92	23.6.09	800
4	श्री सन्त राम नायब तहसीलदार	मोबाईल बिल का भुगतान	92	23.6.09	400
5	श्री मुन्सी राम नायब तहसीलदार	मोबाईल बिल का भुगतान	92	23.6.09	400
6	श्री करम सिंह नायब तहसीलदार	मोबाईल बिल का भुगतान	92	23.6.09	800
			कुल योग		**9200**

(क) उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर वर्णित मै0 सोनी इलैक्ट्रोनिक्स सुन्दरनगर से उनके बिल संख्या 4602 दिनाँक शून्य के अन्तर्गत खरीदे गए मोबाईल सैट (नोकिया) पर किए ₹5800 के भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि अभिलेख में मोबाईल सैट खरीदने का उद्देश्य व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं निविदाऐं इत्यादि नहीं पाई गई। अतः बिना सक्षम अधकारी की स्वीकृति प्राप्त किए तथा औपचारिकताओं को पूरा किए बिना ही मोबाईल सैट की खरीद करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त उक्त व्यय इस निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। अतः इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर भविष्य में इस प्रकार के व्यय पर अंकुश लगाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त विवरणानुसार ई–गवर्नेन्स उपयोक्ता निधि से उप मण्डलाधिकारी के अतिरिक्त नायब तहसीलदारों को भी मोबाईल बिलो ंका भुगतान किया गया है, जोकि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस भुगतान का औचित्य हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 प्रिन्टर में कार्टरेज की भरवाई व स्टेशनरी पर किए गए व्यय की ₹42590/– से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करना

ई–गवर्नेन्स निधि के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स निधि से निम्नविवरणानुसार कार्यालय प्रयोग हेतु समय–समय पर कार्टरेज व स्टेशनरी की खरीद पर व्यय किया गया।

क्र0सं0	फर्म का नाम बिल संख्या	मद का विवरण	रोकड़ बही पृ0सं0	दिनाँक	राशि
1	M/S Logic Busniss system Sunder Nagar Bill No. 433 dt. 23.1.08	Stationary	139	15.3.08	12080
2	-do- Bill No. 40 dt. 30.6.08	Cartieridge & Stationary	184	4.9.08	17165
3	M/S KPS Computer Service SunderNagar Bill No. 138 Dt. 28.2.09	Carteridge	94	26.6.09	6150
4	M/s KPS Computer Servicees Sunder Nagar Bill No. 150 Dt. 16.3.09	Carteridge	94	26.6.09	2325
5	M/S Himalyan Computer Service Bill no. 129 dt nill	Carteridge	94	26.6.09	2050
6	M/S Logic Computer SunderNagar Bill No. 2299 dt. 27-1-12 & Bill No. 2332 dt. 10.2.12	Carteridge	66	29.2.12	2820
				कुल योग	**42590**

उपरोक्त वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा प्रिन्टर के कार्टरेज व स्टेशनरी की खरीद से सम्बन्धित उचित अभिलेख नहीं रखे गए थे, जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कौन से कम्पयूटर के प्रिन्टर के लिए कार्टरेज खरीदा गया तथा खरीदी गई स्टेशनरी का उपयोग कहाँ–कहाँ किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त खरीद से सम्बन्धित बिल/वाउचरों की स्टोर/स्टॉक में प्रविष्टियों तथा पृष्ठ संख्या इत्यादि का सत्यापन भी नहीं किया गया था तथा इस खरीद से सम्बन्धित निविदाओं/रेट कन्ट्रेक्ट तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति इत्यादि भी अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अभिलेख का उचित रख रखाव न रखने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः उपरोक्त अभिलेख का उचित रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

8 निर्धारित औपचारिकताओ ंको पूर्ण किए बिना ही ₹23920/– के प्रिन्टर की खरीद करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की निधि से बिल संख्या 2896 दिनाँक 20.6.09 द्वारा M/S H.P. Document Solution Company Sunder Nagar से ₹23920/– का प्रिन्टर खरीदा गया था। उक्त खरीद से सम्बन्धित मूल कम्पनी का अथोराईजड डीलर सर्टिफीकेट व अनुमोदित मूल्य सूची अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त खरीदे गए प्रिन्टर की स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में भी प्रविष्टि की जानी अपेक्षित थी, जो कि नहीं की गई। अतः मूल कम्पनी का अथोराईजड डीलर सर्टिफीकेट व अनुमोदित सूची प्रस्तुत न करने बारे तथा प्रिन्टर की प्रविष्टि स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करके तथा उक्त प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त प्रिन्टर की कीमत ₹23920/– थी, जबकि रोकड़ बही में फर्म को ₹21000/– का भुगतान किया गया। अतः फर्म द्वारा तय कीमत पर छूट देने से सम्बन्धित अभिलेख के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

9 हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखा सामग्री विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही ₹60000/– का मुद्रण कार्य निजी फर्मों से करवाना

(आर0एल0ए0) सुन्दरनगर द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निजि फर्मों से निम्नानुसार प्रिटिंग का कार्य करवाया गया था।

क्र0सं0	फर्म का नाम व बिल संख्या	सामग्री का विवरण	रोकड़ बही पृ0 सं0	दिनाँक	राशि
1	M/S Printman Prints Mandi Bill No. 103 Dt. 20-5-09	रजिस्ट्रेशन फार्म	94	24.6.09	20000
2	-do- Bill no. 104 dt. 20.6.09	बुकलेट	94	24.6.09	15000
3	M/S Asian Printer SunderNagar Bill No. 274 Dt. 18.2.12	सर्टिफीकेट	66	29.2.12	25000
				योग	**₹60000**

उक्त बिलों की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह कार्य हिमाचल सरकार के मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से करवाया जाना अपेक्षित था,

परन्तु (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर द्वारा उक्त विभाग से अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही यह कार्य अपने स्त्तर पर निजि फर्मों से करवाए गए जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रिन्ट करवाई गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त बिलों द्वारा प्रिन्ट करवाई गई सामग्री की प्रविष्टियाँ करने के साथ–साथ इनकी खपत का अभिलेख भी आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएं।

(ग) क्रम संख्या 1 के अन्तर्गत बिल संख्या 103 दिनाँक 20.5.2009 द्वारा करवाए गए ₹20000/– के प्रिटिंग कार्य से सम्बन्धित निविदाऐं व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अभिलेख में नहीं पाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) क्रम संख्या 3 के अन्तर्गत M/S Asian Printer Sunder Nagar को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 66 दिनाँक 29.2.12 के अन्तर्गत ₹25000/– का भुगतान किया गया था, जबकि बिल में फर्म को ₹24500/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक किए गए भुगतान की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना से इस विभगा को अवगत करवाया जाए।

10 अनुबन्ध के आधार पर की गई नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेख तथा अनुबन्धों के नवीनीकरण से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर द्वारा निम्नविवरणानुसार कर्मचारियों की अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति की गई थी, परन्तु इन कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व प्रत्येक वर्ष अनुबन्ध के नवीनीकरण से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए, जिन्हें जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

रोकड़ बही पृ0सं0	दिनाँक	कर्मचारी का नाम	भुगतान की राशि
116	15.9.05	श्री चरण वालिया	3000
		श्री कर्म सिंह	2500
		श्रीमती वीना भट्ट	2500
31, 32	16.1.07	श्री पी0सी0 कौण्डल	2300
		श्री कर्म सिंह	2500
		श्री चरण वालिया	3000
138	10.3.08	श्री पी0सी0 कौण्डल	3000
140	19.3.08	श्री कर्म सिंह	2500

		श्री चरण वालिया	3000
		श्रीमती वीना भट्ट	2600
		श्री पी0सी0 कौण्डल	3000
184	4.9.08	श्री कर्म सिंह	2500
		श्री चरण वालिया	3300
90	19.6.09	श्री चरण वालिया	3800
		श्री कर्म सिंह	2800
61	6.2.12	श्री चरण वालिया	5500
		श्री कर्म सिंह	4000
		श्री के0सी0 राव	5000
29	6.2.13	श्री चरण वालिया	5500
		श्री कर्म सिंह	4000
		श्री के0सी0 राव	5000
107	1.11.13	श्री चरण वालिया	6050
		श्री कर्म सिंह	4400
		श्री के0सी0 राव	5000

11 फोटोस्टेट मशीन की मुरम्मत व रख रखाव हेतु उचित अभिलेख नहीं रखना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि M/S H.P Document Solution Sunder Nagar को उनके बिल संख्या 3220 दिनाँक 24.2.2010 के एवज में रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 247 पर फोटोस्टेट मशीन की मुरम्मत हेतु ₹11430/– का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निविदाऐं व Maintenance Register में प्रविष्टि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अभिलेखों की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा इस कार्य ₹13908/– का बिल जारी किया गया था, जबकि रोकड़ बही के अनुसार उकत फर्म को ₹11430/– का भुगतान किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा फर्म से भुगतान की वास्तविक रसीद प्राप्त करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

12 भुगतान की गई ₹137971/– से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

ई–गवर्नेन्स निधि (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधि से किए गए विभिन्न भुगतानों से सम्बन्धित दस्तावेज/अभिलेख का रख–रखाव सही ढ़ंग से नहीं रखा गया था। भुगतान वाउचरों में न तो वाउचर संख्या दर्शाई गई थी और न ही रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या का ब्यौरा दिया गया था, जिसके अभाव में निम्नलिखित भुगतानों की सत्यता की जाँच

अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाए तथा भविष्य में इन भुगतानों का उचित ढ़ंग से अभिलेख रखा जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

फर्म का नाम/कर्मचारी का नाम	रोकड़ बही पृ0सं0	दिनाँक	चैक सं0	राशि
मै0 अस्कोम (Ascom) सुन्दरनगर	114	15.9.05	2038394	1650
मै0 पठानिया इन्फोटेक सुन्दरनगर			2038399	4298
मै0 श्याम जनरल स्टोर सुन्दरनगर			5640601	180
मै0 फैन्सी क्लाथ हाउस सुन्दरनगर			5640602	922
मै बन्धु इस्पात मण्डी	31	16.1.07	4170247	11045
भारत संचार निगम लि0			4170246	500
मै0 जवाहर प्रिटिंग प्रैस चण्डीगढ़	136	1.3.08	361689	21600
श्री राजेश मेहरा एण्ड एसोसिएशन	141	25.3.08	4914002	8427
श्री मोहिनर कुमार	186	12.9.08	4914552	5119
मै0 के0पी0एस0 कम्पयूटर सुन्दरनगर	239	8.7.10	822092	8911
मै0 एच0पी0 डाक्यूमेन्ट स्टेशनर सुन्दरनगर		9.7.10	822049	7054
मै0 के0पी0एस0 कम्पयूटर सुन्दरनगर	247	28.7.10	822050	3488
श्री पी0सी0सुपरिटेण्डर	27	1.2.13	565341	5600
श्री वेद प्रकाश प्रकाश			565344	1200
श्री प्रवीन कुमार			565345	5700
एस0डी0ओ0 ईलैक्ट्रीक्लि	35	28.2.13	565349	2506
एस0डी0ओ0 ईलैक्ट्रीक्लि			565350	30000
मै0 बी0के0 एंन्टर प्राईजिज मण्डी	113	22.11.13	28572	19771
			कुल योग	**₹137971**

13 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे

अंकेक्षण अवधि के दौरान ई–गवर्नेन्स निधि से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की मदों का नियमानुसार समय–2 पर प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि ई–गवर्नेन्स निधि से खरीदी गई समस्त सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार करवाया जाए ताकि इस निधि की स्थाई व अस्थाई सम्पत्तियों/सामग्री का आंकलन किया जा सके।

14 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्षः— लेखाओं के रख—रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 54/2015 खण्ड—1—6129—6133 दिनांक,17.10.15
शिमला—171009

पंजीकृतः—1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

2 जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई—गवर्नेन्स सोसाईटी मण्डी जिला मण्डी (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला—171003
4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला—171002
5 श्री मोहिन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.